न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कोर्ट संख्या 01, मुजफ्फरनगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2905 सन् 2026

1. हिमांशु पुत्र स्व0 श्याम सिंह निवीास ग्राम खुब्बापुर थाना मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष,

मुकदमा अपराध संख्या–224 सन् 2025
धारा–67 आई.टी. एक्ट
थाना–मन्सूरपुर,
जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांक–05.06.2026

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **हिमांशु पुत्र स्व0 श्याम सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–224 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 67 आई.टी. एक्ट थाना–मन्सूरपुर, जिला मुज़फ़्फ़रनगर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में नितिन पुत्र राजपाल सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' व निजी अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा की एक बेटी को गांव के ही दो लड़के विशाल व हिमांशु कुछ दिन पूर्व बहला फुसलाकर कंही ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की के नग्न अवस्था के वीडियो व फोटो बना लिये और कुछ दिनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ य दो लाख रूपये दो। लड़की से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो लड़की ने घ ार पर रखे जेवरात उठाकर दे दिये। उसके बावजूद भी लड़को ने उसकी वीडियो व फोटो आईयूकेवाईपीजी 11–090 पर भेज दी और लड़का जहां पर रिश्ता हुआ था, उनके फोन पर वीडियो भेज दी, जिससे उसका रिश्ता टूट गया तथा इस विषय में बात की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी।

4. जमानत के आधार के रूप मे अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0-224 सन् 2025 अन्तर्गत धारा-137(2), 123, 77, 119(1), 351(2) बी०एन०एस० थाना-मन्सूरपुर दर्ज हुआ था। जिसमें प्रार्थी / अभियक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-137(2), 123, 77, 119(1), 351 (2) बी०एन०एस० में दाखिल किया गया था और मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उक्त धाराओ में ही मुकदमे को सेशन न्यायालय में सुपुर्दग किया था। परन्तु माननीय न्यायालय ने चार्जशीट एवं सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर संज्ञान लेते समय धारा-119 (1) बी०एन०एस० को डिस्चार्ज कर दिया एवं धारा-67 आई०टी० एक्ट की वृद्धि कर दी गयी थी। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा अपना जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-67 आई 0 टी0 एक्ट में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उक्त जमानत प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.01.2026 को खारिज कर दिया गया था। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-67 आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में एस०एल०पी० नं0-6289 सन् 2026 योजित की गयी थी। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मु0 अ 0 सं0-224 सन् 2025 में प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुये दिनांक 27.05.2026 को जमानत स्वीकार कर ली गयी है। प्रार्थी / अभियुक्त ने अपनी एस०एल०पी० याचिका में यह कथन किया था कि प्रार्थी / अभियुक्त के

विरूद्ध मु0 अ 0 सं0-224 सन् 2025 अन्तर्गत धारा-137(2), 123, 77, 119(1), 351 (2) बी०एन०एस० दर्ज हुई थी, परन्तु विचारण न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर ने चार्जशीट एवं सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर संज्ञान लेते समय धारा-119 (1) बी०एन०एस० को डिस्चार्ज कर दिया एवं धारा-67 आई०टी० एक्ट की वृद्धि कर दी गयी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.01.2026 बतौर एनैक्चर पी-5, पेज-51 एवं फाईन रिपोर्ट चार्जशीट दिनांकित 11.09.2025 बतौर एनैक्चर पी-2 पेज 22 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये थे, उपरोक्त एनैक्चरो के आधार पर प्रार्थी / अभियुक्त को उक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत प्रदान की गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जमानत आदेश की नेट की प्रति साथ जमानत प्रार्थना पत्र संलग्न है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का यह सविदित आदेश है कि यदि किसी अपराध संख्या में मेजर धाराओ (अधिकतम दण्डादेश वाली धाराओ) में प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी गयी है तो लोवर कोर्ट भी उक्त आदेश के आधार पर सम्बन्धित अपराध संख्या में माइनर धाराओ (कम दण्डादेश वाली धाराओ) में प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकता है। यह कि प्रार्थी / अभियुक्त का पुलिस द्वारा मोबाईल फोन सम्बन्धित मुकदमे की विवेचना के दौरान जब्त किया गया था, परन्तु पुलिस द्वारा इस फोन से कोई भी डाटा रिकवर नहीं किया गया है और न ही इस फोन में कोई डाटा था तथा पुलिस द्वारा वीडियो वायरल के सम्बन्ध में कोई भी साईबर क्राईम की सहायता नही ली गयी है और न ही वीडियो वायरल होने की बाबत अभिलेख पर कोई भी साईबर रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा-67 आई०टी० एक्ट का कोई अपराध नही बनता है। प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 30.07.2025 से लगातार जेल में बन्द है। घटना के विषय में कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी / अभियुक्त पूर्व सजायाफता नही है और ना ही कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के पश्चात कहीं भागने या सबूत नष्ट करने का अन्देशा नही है। प्रार्थी / अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा दौरान विवेचना जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा किया गया। कथन किया गया कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। गम्भीर अपराध कारित किया है। जमानत का प्रबल विरोध किया गया।

6. प्रस्तुत मामले में अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त पर पीड़िता के अपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त का पुलिस द्वारा मोबाईल फोन संबंधित मुकदमें की विवेचना के दौरान जब्त किया गया था किन्तु पुलिस द्वारा इस फोन से कोई भी डाटा रिकवर नहीं किया गया है तथा वीडियो वायरल के संबंध में भी पुलिस द्वारा साईबर रिपोर्ट भी संलग्न नहीं की गयी है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की मुख्य धाराओं में जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिसके आदेश की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय में केवल 67 आई.टी. एक्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक 30.07.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का न्यायोचित आधार पाया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **हिमांशु पुत्र स्व0 श्याम सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **50,000/—** (पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू

निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0/बी0एन0एस0एस0 की धारा 313/351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0/बी0एन0एस0एस0 की धारा 313/351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 01, मुजफ्फरनगर।